न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 74 / 11

धन्ना लाल पुत्र गोपाल लाल जाति बारेठ निवासी ग्राम खजूरी हाल मुकाम कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. महाराम आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोजी आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. फोरियालाल आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खजूरी तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 805 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा पे0 111 व शरह 1 अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जिस पर वादी को मौके पर जाकर जरिये दखलनामा दिनांक 16.12.1967 से कब्जा सुपुर्द कर दिया । तब से ही उक्त कृषि भूमि पर वादी बदस्तूर काबिज काश्त करता चला आ

रहा था । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 944/1648 रकबा 05 बीघा व 945/1649 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा बने हैं । उक्त भूमि पर वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 बदमाश व लडाकू किसम के व्यक्ति हैं जो राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि को हडपना चाहते हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को आवंटित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो जावे तो भी उनसे मुक्त करवाकर भूमि वादी को संभलायी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर आवंटन के दिनांक 16.12.1967 से विधिवत काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट उक्त आराजी पर आवंटन के दिनांक से ही बतौर आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर काननून खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्टदर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 805 की 05 बीघा 13 बिस्वा ग्राम खजूरी का आवंटन अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 16.11.1967 को कर दखल दिया गया था तब से ही इस आराजी पर अपीलान्ट बतौर आवंटी काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही इससे उनका कोई सम्बन्ध है । इसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 से 4 अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार नैनवा की मौका रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट लगातार काबिज काश्त है और कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी के वाद के तथ्यों का किसी ने भी खण्डन नहीं किया है । दस्तावेजी

साक्ष्य से वादी ने अपना वाद सिद्ध कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति आवंटन आदेश प्रदर्श– 1, फोटो प्रति रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श– 2, असल आवंटन की आज्ञा प्रदर्श–3, दखलनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 6, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–7, 8 संलग्न हैं ।

10. बयान धन्नालाल पीडब्ल्यू–1, रामलाल पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श – 1 व 2 फोटो प्रतियॉ हैं न कि प्रमाणित प्रतियॉ । अपीलान्ट ने आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है और यह कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 805 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा उनके आवंटनशुदा भूमि है । जबकि पेश किये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 805 के साथ अन्य ,खसरा नम्बर मिलाते हुए खसरा नम्बर 945 रकबा 02 बीघ 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 944/1648 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 945/1649 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा बने है। और पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 944/1648, 945/1649 सिवायचक दर्ज है ।

12. इस प्रकार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है यदि अपीलान्ट आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नियमानुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था और आवंटन अधिकारी जॉच करने के उपरान्त कि आवंटी के द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है उन्हें गैर खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता । मिलान क्षेत्रफल की जो प्रति पेश की गई है उसके अनुसार भी साबिक खवसरा नम्बर 805 में 80 और 83 को मिलान हाल खसरा नम्बर 945 बना है साबिक खसरा नम्बर 805, 806 और 1221 मिन को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 944/1648 बना है । वादी के द्वारा अपने दावे में हाल खसरा नम्बर 945 और 944/1648 में हक घोषणा की प्रार्थना की है । हाल खसरा नम्बर 944/1648 में खसरा नम्बर 805 के अलावा खसरा नम्बर 806 और 1221 का रकबा भी शामिल है । खसरा नम्बर 806 ओर 1221 अपीलान्ट को आवंटनशुदा आराजी नहीं है । इस प्रकार वादी अपने दावे को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट यदि आवंटन के आधार पर कोई सहायता चाहते हैं तो वे नियमानुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

15. निर्णय आज दिनांक 04.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 74/11

धन्ना लाल पुत्र गोपाल लाल जाति बारेठ निवासी ग्राम खजूरी हाल मुकाम कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. महाराम आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोजी आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. फोरियालाल आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 70/दावा/2009

धन्ना लाल पुत्र गोपाल लाल जाति बारेठ निवासी ग्राम खजूरी हाल मुकाम कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. मोती लाल आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा (मृतक) नाम तर्क ।
2. महाराम आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शोजी आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. फोरियालाल आत्मज किशन लाल जाति मीणा निवासी खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 की अपील न्यायालय-राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2011 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट यदि आवंटन के आधार पर कोई सहायता चाहते हैं तो वे नियमानुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 04.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा